

पंचायती राज मंत्रालय

मांग संख्या 69

पंचायती राज मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

		(करोड़ रुपए)								
मुख्य शीर्ष		बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		4780.00	0.50	4780.50	4000.00	0.59	4000.59	4780.00	0.71	4780.71
पूंजी	
जोड़		4780.00	0.50	4780.50	4000.00	0.59	4000.59	4780.00	0.71	4780.71
1. सचिवालय आर्थिक सेवाएं:	3451	8.00	0.50	8.50	9.15	0.59	9.74	9.00	0.71	9.71
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम										
2. पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेहिता प्रोत्साहन योजना	2515	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	9.00	...	9.00
	2515	6.90	...	6.90	18.90	...	18.90	6.20	...	6.20
3. मीडिया और प्रचार										
4. पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान	2515	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	3.60	...	3.60
5. कार्य अनुसंधान और अनुसंधान अध्ययन	2515	2.00	...	2.00	3.00	...	3.00	2.70	...	2.70
	2515	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	1.80	...	1.80
6. ग्रामीण व्यापार केन्द्र	2515	1.00	...	1.00
7. राष्ट्रीय पंचायत निधि										
8. जिला योजना समितियों और जिला परिषदों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए तकनीकी सहायता	2515	25.00	...	25.00
केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें	2515	30.00	...	30.00	41.85	...	41.85	40.00	...	40.00
9. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना										
10. ई-पंचायत संबंधी मिशन मोड परियोजना	2515	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	21.60	...	21.60
		35.00	...	35.00	46.85	...	46.85	61.60	...	61.60
जोड़-केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें										
11. यूएन एजेंसियों की सहायता प्राप्त परियोजनाओं के तहत विदेशी सहायता आगे देना	2515	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
12. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के तहत राष्ट्रमंडल स्थानीय सरकार को अंशदान	2515	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
		91.00	...	91.00	89.85	...	89.85	90.00	...	90.00
जोड़-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम										
13. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	11.00	...	11.00	11.00	...	11.00	11.00	...	11.00
राज्य योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	3601	4670.00	...	4670.00	3890.00	...	3890.00	4670.00	...	4670.00
14. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि		4780.00	0.50	4780.50	4000.00	0.59	4000.59	4780.00	0.71	4780.71
कुल जोड़										
ग. आयोजना परिव्यय										
	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
केन्द्रीय योजना	13451	8.00	...	8.00	9.15	...	9.15	9.00	...	9.00
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	12515	91.00	...	91.00	89.85	...	89.85	90.00	...	90.00
2. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	22552	11.00	...	11.00	11.00	...	11.00	11.00	...	11.00
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र		110.00	...	110.00	110.00	...	110.00	110.00	...	110.00
जोड़-केन्द्रीय योजना										
राज्यों की योजनाएं	43601	4670.00	...	4670.00	3890.00	...	3890.00	4670.00	...	4670.00
1. पिछड़े क्षेत्र अनुदान कोष		4780.00	...	4780.00	4000.00	...	4000.00	4780.00	...	4780.00
जोड़										

1. यह प्रावधान पंचायती राज मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए है।

पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण को गति प्रदान करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना की गई थी। इसे जिला योजना समितियों से सम्बन्धित संविधान (73 वां संशोधन) अधिनियम, 1996 तथा संविधान के भाग IX क में निहित अनुच्छेद 243 जेड डी के कार्यान्वयन के माँनितरिग से संबंधित कार्यों की देख-देख करने के लिए अधिदेशित किया गया है। वर्ष 2009-10 के लिए पंचायती राज मंत्रालय की योजना स्कीमों के लिए परिव्यय

सिक्किम समेत पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए 11.00 करोड़ के प्रावधान के साथ 110.00 करोड़ रु. है। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी आर जी एफ) के अन्तर्गत राज्य योजनाओं को केन्द्रीय सहायता के लिए परिव्यय समान अवधि के लिए 4670.00 करोड़ रु. है।

2. पंचायत अधिकारिता एवं जवाबदेही प्रोत्साहन योजना प्रोत्साहनों की एक सु-अभिकल्पित पद्धति को उपलब्ध कराने के लिए है जो पंचायतों को और अधिक प्रकार्य, कर्मा तथा निधि हस्तांतरित करने में राज्यों को सहयोग

देने तथा प्रोत्साहित करने में भारत सरकार को एक प्रभावी तंत्र उपलब्ध कराएगा।

3. **मीडिया एवं प्रचार** प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दृश्य एवं श्रव्य प्रचार के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में लोगों को महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध कराने तथा उनमें जागरूकता का सृजन करने के प्रति लक्षित है।

4. **पंचायत महिला एवं युवाशक्ति अभियान** पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित महिला एवं युवा प्रतिनिधियों को संगठित करने की दृष्टि से क्रियान्वित किया जाता है ताकि उनकी आवाज, मौजूदगी तथा कार्य निष्पादन में अभिवृद्ध हो सके।

5. **कार्य अनुसंधान एवं अनुसंधान अध्ययन:** के तहत ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अनुसंधान; मूल्यांकन का विशेषीकृत अनुभव रखने वाले अकादमिक संस्थानों/गैर सरकारी संगठनों/अनुसंधान संगठनों/सोसायटियों को पंचायती राज के विभिन्न स्वरूपों पर कार्य अनुसंधान व अनुसंधान अध्ययन के लिए, मुख्यतः बेहतर नीति प्रारूपण के एक टूल की तरह उपयोग करने के लिए, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

6. **ग्रामीण व्यवसाय केंद्र** स्कीम "हाट से हाइपर मार्केट" के लक्ष्य को समर्पित है तथा महज जीवन-यापन से हटकर ग्रामीण संपन्नता का तथा ग्रामीण कृषि इतर आय तथा ग्रामीण रोजगार को बढ़ाये जाने का लक्ष्य रखता है। पंचायती राज संस्थाओं के सहयोग से ग्रामीण व्यवसाय केंद्र ग्यारहवीं योजना के उद्देश्य "समावेशकारी विकास" का आलंब बन सकते हैं।

9. **राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना** की स्कीम राज्यों को पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं की क्षमता में सुधार करने तथा

पंचायतों को अत्यावश्यक प्रशासनिक तथा अवसंरचनात्मक सहयोग उपलब्ध कराने; जिससे कि वे हस्तांतरित प्रकार्यों को प्रभावपूर्ण तरीके से निष्पादित कर सकें तथा सौंपे गये स्कीमों को कार्यान्वित कर सकें; में सहयोग देने के लिए है।

10. **ई-पंचायतों पर मिशन मोड परियोजना** - राष्ट्रीय ई-शासन के तहत एक योजना जिसने पंचायती राज संस्थाओं में ई-शासन को एक मिशन मोड परियोजना के तौर पर अभिचिह्नित किया है।

11. **संयुक्त राष्ट्र सहायता प्राप्त परियोजना** - संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाये जाते हैं।

12. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के तहत कॉमनवेल्थ स्थानीय सरकार फोरम में अंशदान हेतु।

13. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान किया गया है।

12. **पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि** (बी.आर.जी.एफ.) की शुरुआत केंद्र तथा राज्यों के संयुक्त प्रयासों से कार्यक्रमों तथा नीतियों को सही तरीके से क्रियान्वित करने के लिए की गयी है जो विकास की बाधाओं को दूर करेगा; विकास प्रक्रिया को त्वरित करेगा तथा लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाएगा। स्कीम का लक्ष्य पिछड़े क्षेत्रों के लिए विकास कार्यक्रमों पर केंद्रित है जो असंतुलन को कम करेगा तथा विकास में तेजी लायेगा। पिछड़े जिलों में सभी स्तरों पर पंचायतों की पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के अन्तर्गत नियोजन व कार्यान्वयन में एक केंद्रीय भूमिका होगी जो देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच अंतर पाटने का कार्य करेगा।